प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
ऊर्जा विभाग,
उ0प्र0 शासन।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांकः 23 फरवरी, 2016**

विषयः प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के द्वारा ऊर्जा विभाग की सेवाओं को आम जनमानस तक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश सं0-1560/78-2-2015-53आईटी/2008 दिनांक 23 सितम्बर, 2015 (संलग्नक-1) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके क्रम में दिनांक 27 जनवरी, 2016 को प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऊर्जा विभाग की चयनित सेवायें प्रदान किये जाने हेतु ऊर्जा विभाग के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया।

2. उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि वर्तमान में आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर (डी.एस.पी.) का चयन किया गया है जिनके द्वारा प्रदेश में जन सेवा केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन का कार्य किया जा रहा है। उक्त केन्द्रों द्वारा वर्तमान में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का उपयोग करते हुए राज्य सरकार के 09 विभागों की 26 शासकीय सेवायें आम जनमानस को प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश सं0-1560/78-2-2015-53आईटी/2008 दिनांक 23 सितम्बर, 2015 द्वारा 90 अन्य शासकीय सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर इन्टीग्रेट करने हेतु सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया गया तथा दिनांक 16 दिसम्बर, 2015 को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक में पुनः निर्देशित किया गया कि विभाग निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर इन्टीग्रेट करायें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऊर्जा विभाग की सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से प्रदान किये जाने हेतु ऊर्जा विभाग द्वारा निम्न बिन्दुओं का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करना होगाः-

(1) विभागीय सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट कराये जाने हेतु रजिस्ट्रेशन फार्म (संलग्नक-2) को पूर्णता भरते हुए सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स, उ0प्र0 (सी.ई.जी.) को उपलब्ध कराया जायें।

(2) सी.ई.जी. द्वारा फार्म प्राप्त होने के उपरान्त रजिस्ट्रेशन आई.डी. ऊर्जा विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी जिसके साथ-साथ टैक्नीकल गाइडलाईन्स (संलग्नक-3) का उपयोग करते हुए ऊर्जा विभाग के साफ्टवेयर डेवलपर संस्था द्वारा आनलाईन माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही विभागीय सेवाओं के इन्टीग्रेशन की कार्यवाही समयबद्व तरीके से पूर्ण की जायेगी।

(3) सेवाओं के इन्टीग्रेशन की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त जन सेवा केन्द्रों द्वारा ऊर्जा विभाग की सेवायें प्रदान किये जाने हेतु सेवा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश (संलग्नक-4) को भी निर्गत किया जाना होगा।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव

संख्याः 16/2016/364(1)/78-2-2016 तददिनाँक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, विशेष सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, लखनऊ।
4. राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, लखनऊ, उ0प्र0।
5. हेड, एसईएमटी, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in